संख्या-4/2022/20/1/91-का-2/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक,
   उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0 कानपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 18 अप्रैल, 2022

विषयः-उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस जेम की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18/12/2019 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (Outsourcing of Man Power) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित जेम पोर्टल की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए गए है।

2- उक्त शासनादेश के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल **sewayojan.up.nic.in** पर वरिष्ठता (***First Come First Serve)*** *अथवा* कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम आधार पर कार्मिकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

3- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल **sewayojan.up.nic.in** पर उपलब्ध कार्मिको में से वरिष्ठता के स्थान पर अब केवल कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम आधार पर ही कार्मिक लिए जाएगें। इससे आउटसोर्सिंग कार्मिकों के चयन में इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवेदन के अवसर का लाभ मिल सकेगा एवं चयन प्रक्रिया की व्यवस्था अधिक से अधिक पारदर्शी हो सकेगी।

4- कृपया उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18/12/2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

कृपया उक्त् दिशा-निर्देशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-4/2022/20(1)/1/91-का-2/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को संलग्न नियमवाली की आवरण पत्र सहित 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
निर्मेष कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in